Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

151-2018/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 9, 2018 (BHADRA 18, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th September, 2018

No. 36-HLA of 2018/64/19540.— The Haryana Municipal Citizens' Participation (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 36- HLA of 2018.

THE HARYANA MUNICIPAL CITIZENS' PARTICIPATION (AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Citizens'Participation Act, 2008.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal Citizens' Participation (Amendment) Act, 2018.

Amendment of section 11 of Haryana Act 35 of 2008.

2. In clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Haryana Municipal Citizens' Participation Act, 2008 (hereinafter in called the principal Act),-

(i) in the third proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that when any local area/gram panchayat is merged into a municipality, the incumbents of the offices of Panches and Sarpanch at the time of merger shall act as the ward committee for the geographical area so merged till such time as the next elections to that municipality are held or till the term of the erstwhile gram panchayat would have lasted, whichever is earlier.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As provided in Section-3 of the Haryana Municipal Act, 1973, the State Government, may, by notification propose any local area/gram panchayat to be municipality. Similarly, as provided in Section-3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 the Government, may, from time to time by notification in the official Gazette declare any municipality including area comprising rural area or a part thereof to be a Corporation.
2. The limits of municipalities are also extended from time to time by including the local areas of the gram panchayats, due to the development of urbanization in such areas.
3. At the time of conversion any local area/gram panchayat into a municipality or by including the local area/gram panachayat in the limits of any municipality, the prescribed tenure of elected representatives of concerned local area/gram panchayat remains uncompleted.
4. It has been considered that to continue the representation of elected members of such local area/gram panchayat, which area has been included/converted into municipality, an amendment may be made by inserting the provision in sub section-2(b) of Section-11 of the Haryana Muncipal Citizens' Participation Act, 2008 that "when any local area/gram panchayat is merged into a municipality, the incumbents of the offices of Panches and Sarpanch at the time of merger shall act as the ward committee for the geographical area so merged till such time as the next elections to that municipality are held or till the term of the erstwhile gram panchayat would have lasted, whichever is earlier."

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 9th September, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 36–एच0एल0ए0

हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2008 का हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 11 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 11 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) में,–

(i) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र/ ग्राम पंचायत का नगरपालिका में विलय किया जाता है, तो विलय के समय पंचों तथा सरपंच के कार्यालय के पदधारी इस प्रकार विलय किए गए भौगोलिक क्षेत्र के लिए ऐसे समय तक वार्ड समिति के रूप में कार्य करेंगे, जब तक उस नगरपालिका के चुनाव नहीं करवाए जाते हैं या पूर्व पंचायत के कार्यकाल के अन्त तक, जो भी पहले हो।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा–3 में वर्णित प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, किसी स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा–3 में वर्णित प्रावधान अनुसार सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, किसी ग्रामीण क्षेत्र या उसके कुछ भाग को सम्मिलित करते हुये, नगर निगम घोषित किया जा सकता है।

2. स्थानीय क्षेत्रों में शहरीकरण का विकास होने के फलस्वरूप सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों/ग्राम पंचायतों को समय–समय पर आवश्यकता अनुसार पालिकाओं की सीमा में भी सम्मिलित किया जाता है।

3. किसी स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत को पालिका में परिवर्तित करते समय या उनके क्षेत्र/ग्राम पंचायत को पालिका की सीमा में सम्मिलित करते समय सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण नहीं होता है।

4. यह विचार किया गया है कि सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिनके क्षेत्र को पालिका में परिवर्तित/सम्मिलित किया गया है, का प्रतिनिधित्व जारी रखने के लिये हरियाणा नगर पालिका जनप्रतिनिधि भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा–11 की उप–धारा–2(ख) में यह प्रावधान कर दिया जायें कि ''जब किसी स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत को पालिका में परिवर्तित किया जाता है या उसके क्षेत्र को पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो तत्कालीन ग्राम पंचायत/स्थानीय क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, जब तक कि उस शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव नही हो जाते या जब तक तत्कालीन पंचायत की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, वार्ड कमेटी के सदस्य के तौर पर कार्य करेंगे।''

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 सितम्बर, 2018.

आर० के० नान्दल,
सचिव।

56547—H.V.S.—H.G.P., Chd.